सं. 19-31/2012-कल्याण/खेलकूद
भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डाक विभाग

कल्याण एवं खेलकूद प्रभाग
डाक भवन, नई दिल्ली
17 सितम्बर, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय: ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सर्किल कल्याण निधि से संबंधित ।

ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सर्किल कल्याण निधि प्रारंभ किए जाने से संबंधित मामला 'डाक विभाग की 1 वर्ष के दौरान पहलें' के हिस्से के रूप में माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के मार्गदर्शन के अधीन विचाराधीन था। यह योजना अब सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दी गई है और निम्नानुसार है:-

योजना का नाम

1.1 यह योजना ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सर्किल कल्याण निधि (सीडब्ल्यूएफजीडीएस) के रूप में जानी जाएगी।

1.2 सीडब्ल्यूएफजीडीएस मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के नियंत्रणाधीन है।

योजना के कार्यान्वयन को विकेन्द्रित किए जाने तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से ग्रामीण डाक सेवक निधि के संबंध में शक्तियों को क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरल को देने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार, क्षेत्रीय निधि का संचालन क्षेत्रीय स्तर पर किया जाएगा और केवल एक सर्किल निधि होगी और क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरल द्वारा क्षेत्र से संबंधित आनुपातिक राशि का संचालन किया जाएगा और यह कार्य सर्किल प्रमुख के समग्र नियंत्रण में होगा। प्रत्येक क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरल को प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल को इस बात की सूचना दी जाएगी कि क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वयन के लिए कितनी राशि उपलब्ध है और यह सूचना निधि के परिप्रेक्ष्य में संवितरण, प्राप्त भुगतान तथा किए गए भुगतान की लेखापरीक्षा के उपरांत की जाएगी। लेखापरीक्षा का कार्य मुख्य पोस्टमास्टर जनरल द्वारा नामांकित सर्किल के किसी लेखा अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

2. उद्देश्य

वर्तमान में कुल 2,57,856* ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) हैं जो कि देश में 1,29,402* शाखा डाकघरों के ग्रामीण डाक नेटवर्क को संचालित करते हैं। अत: उनके कल्याण को ध्यान में

रखते हुए एक सर्किल कल्याण निधि प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है जिसका उपयोग केवल ग्रामीण डाक सेवकों के कल्याणार्थ किया जाएगा। उक्त निधि का प्रबंधन एवं प्रचालन सर्किल स्तर पर संबंधित सर्किलों के प्रमुखों द्वारा किया जाएगा।

3. <u>योजना का दायरा</u>

उक्त योजना अनिवार्य है और डाक सर्किलों में नियमित आधार पर कार्यरत सभी ग्रामीण डाक सेवकों पर लागू होती है। यह योजना छुट्टी पर चल रहे जीडीएस के स्थान पर कार्य कर रहे स्थानापन्न कर्मचारियों और वैकल्पिक रूप से कार्यरत जीडीएस को कवर नहीं करेगी।

4. <u>उपनियम</u>

योजना के उपनियम <u>अनुबंध-क</u> के रूप में संलग्न हैं।

5. <u>अंशदान</u>

प्रत्येक ग्रामीण डाक सेवक द्वारा 20/-रु. प्रति माह की समान दर से निधि में अशंदान किया जाएगा। लेखा कार्य को न्यूनतम रखने के उद्देश्य से 240/-रु. के वार्षिक अंशदान की राशि प्रत्येक वर्ष एकमुश्त रूप से अप्रैल माह (मार्च के समय संबद्ध निरंतरता भत्ता में से) में वसूली जाएगी। नए भर्ती हुए जीडीएस के मामले में वार्षिक अंशदान आनुपातिक आधार पर उक्त जीडीएस के प्रथम माह के टीआरसीए (समय संबद्ध निरंतरता भत्ता) में से वसूला जाएगा।यह अंशदान 20/-रु. प्रतिमाह की दर से जीडीएस द्वारा कार्यभार ग्रहण किए जाने के माह एवं तिथि को ध्यान में न रखते हुए वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी माह के लिए वसूला जाएगा।

6. <u>योजना की शुरुआत</u>

यह योजना 01.10.2013 से लागू होगी। सर्किलों की संबंधित इकाइयां, वित्तीय वर्ष 2013-14 के 6 माह (अक्तूबर, 13 से मार्च, 14 तक) के लिए अंशदान की एकमुश्त राशि अर्थात् 120/-रु. की वसूली अक्तूबर, 2013 के टीआरसीए में से करेंगी। इसके पश्चात्, अंशदान को उक्त योजना के पैरा 5 के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

7. <u>सदस्यों से अंशदान की वसूली</u>

प्रधान डाकघर की लेखा शाखा द्वारा सभी पात्र ग्रामीण डाक सेवकों से वार्षिक अंशदान की वसूली की जाएगी। प्रधान डाकघर संग्रहित की गई राशि को प्रबंधन समिति के कोषाध्यक्ष को प्रेषित करेंगे और साथ ही सदस्यों की श्रेणीवार सूची भी भेजेंगे और इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर (एसएसपी)/अधीक्षक डाकघर (एसपी)/वरिष्ठ अधीक्षक, रेलवे मेल (एसएसआरएम)/अधीक्षक रेलवे मेल (एसआरएम) को भी देंगे। इसी प्रकार की प्रकिया यथापेक्षित

परिवर्तन के साथ आरएमएस के एसआरओ/एचआरओ के मामले में अपनाई जाएगी। प्रधान डाकघर की लेखा शाखा जीडीएस का एक रजिस्टर बनाएगी और प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में एकमुश्त राशि के रूप में वसूली सुनिश्चित करेगी।

8. <u>आवेदन</u>

8.1 ग्रामीण डाक सेवक योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करेंगे। नियंत्रण प्राधिकारी और डिवीजन प्रमुख द्वारा किसी भी सदस्य की मृत्यु की सूचना शीघ्रातिशीघ्र एक आवेदन तथा मृत्यु प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति के साथ प्रबंधन समिति के सचिव को दी जानी चाहिए। इस आवेदन में मृतक द्वारा नियमित अंशदान का भुगतान किए जाने का तथ्य प्रमाणित किया जाना चाहिए। आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में अतिरिक्त सूचना प्राप्त कर निर्धारित प्रपत्र में भरी जानी चाहिए और इस प्रपत्र को वित्तीय सहायता के लिए अग्रेषित किया जाना चाहिए। किसी बड़ी शल्यक्रिया करवाए जाने की स्थिति में, शल्यक्रिया करवाए जाने का साक्ष्य और प्रमाणपत्र इत्यादि के साथ प्रपत्र एवं विवरण अग्रेषित किया जाना चाहिए।

8.2 किसी भी आवेदन पत्र पर 'प्रथम आओ, प्रथम पाओ' के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। जीडीएस द्वारा आवेदन पत्र दिए जाने की तिथि ही आवेदन की तिथि मानी जाएगी। प्रभागीय कार्यालय में मामले को अग्रेषित करने में हुए प्रशासनिक विलंब के लिए आवेदक को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार सर्किल/क्षेत्रीय कार्यालय में जीडीएस द्वारा अपने नियंत्रण अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि प्राथमिकता की तिथि मानी जाएगी।

8.3 डिवीजनल प्रमुख,ग्रामीण डाक सेवकों के आवेदनों की जांच के बाद इन्हें अग्रेषित करेंगे और इन पर जैसा भी मामला हो 'सिफारिश की जाती है' अथवा 'सिफारिश नहीं की जाती है' की टिप्पणी देंगे और संक्षिप्त में इसका औचित्य भी स्पष्ट करेंगे। क्षेत्रीय/सर्किल कार्यालय में इन आवेदनों की एक बार पुन: जांच की जाएगी और सभी मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदनों को सक्षम समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए रख लिया जाएगा ताकि इस मामले में निर्णय किया जा सके। इस समिति में क्षेत्रीय/सर्किल कार्यालय के कम से कम तीन अधिकारी होने चाहिएं। आवेदकों के अपात्र पाए गए आवेदन डिवीजनल प्रमुखों को लौटा दिए जाएंगे और इन पर अपात्र घोषित किए जाने के कारणों का भी उल्लेख किया जाएगा।

8.4 समिति की बैठक हर तीन माह में एक बार आयोजित की जाएगी अर्थात् जनवरी से मार्च के दौरान प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों पर निर्णय अप्रैल में होने वाली बैठक में लिया

जाएगा, अप्रैल से जून तक प्राप्त हुए सभी आवेदनों पर निर्णय जुलाई में लिया जाएगा, जुलाई से सितम्बर में प्राप्त हुए सब आवेदनों पर निर्णय अक्तूबर में लिया जाएगा और अक्तूबर से दिसम्बर के बीच प्राप्त हुए आवेदनों पर निर्णय जनवरी में लिया जाएगा। औपचारिक कार्यवृत्त जारी कर दिया जाएगा और इसे सभी डिवीजनल प्रमुखों को परिचालित किया जाएगा।

9. <u>योजना का संचालन</u>

9.1 ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सर्किल कल्याण निधि (सीडब्ल्यूएफजीडीएस) का प्रबंधन उपनियम के खंड 10 के अनुरूप प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा। क्षेत्रीय स्तर पर ग्रामीण डाक सेवकों को वित्तीय अनुदान प्रदान करने के मामले में अंतिम निर्णय करने का अधिकार क्षेत्रीय प्रमुख को होगा। तथापि, सर्किल में योजना/अनुदान/सहायता से संबंधित मामलों में समन्वय एवं समाधान का अंतिम निर्णय सर्किल प्रमुख द्वारा किया जाएगा। पात्रता प्राप्त ग्रामीण डाक सेवकों को दिए जाने वाले अनुदानों से संबंधित सभी मामलों में सर्किल प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा।

9.2 योजना के दायरे में किसी भी परिवर्तन का अधिकार केवल महानिदेशक, डाक को प्राप्त होगा।

9.3 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मामलों की जांच और उन पर निर्णय दिए जाने हेतु ग्रामीण डाक सेवक कल्याण समिति में सर्किल और क्षेत्रीय स्तर पर सदस्य के रूप में ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी यूनियन के कम से कम दो प्रतिनिधियों अथवा यदि ऐसे प्रतिनिधि उपलब्ध न हों, तो ऐसे दो ग्रामीण डाक सेवक, जिन्हें कल्याण योजनाओं/नियमों का अच्छा ज्ञान हो तथा जो अन्य ग्रामीण डाक सेवकों के मामले को भी भली भांति प्रस्तुत करने में सक्षम हों, को शामिल किया जाना चाहिए।

10. <u>पात्रता</u>

सभी ग्रामीण डाक सेवक इन लाभों हेतु पात्र होंगे, बशर्ते कि उन्हें विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियोजित किया गया है और इनके नियोजन के आदेश रिकार्ड पर उपलब्ध हैं।

11. <u>अंशदान योजना</u>

11.1 यह योजना अंशदान स्वरूप की होगी जिसमें एक घटक विभाग की केंद्रीय डाक कल्याण निधि का होगा।

11.2 प्रत्येक ग्रामीण डाक सेवक 20/-रु. प्रति माह का अंशदान देगा और 240/-रु का वार्षिक अंशदान अग्रिम रूप में एकमुश्त रूप से प्रतिवर्ष अप्रैल में मार्च के टीआरसीए में से वसूला जाएगा। उदाहरणार्थ :-

(क)	प्रत्येक ग्रामीण डाक सेवक द्वारा प्रतिमाह दिया जाने वाल अंशदान	20/-रु.
(ख)	वार्षिक अंशदान	20X12=240/-रु.
(ग)	यदि किसी सर्किल के अंतर्गत 10,000 जीडीएस कार्यरत हैं, तो उनका वार्षिक अंशदान होगा:-	240X10,000=24,00,000/-रु.
(घ)	18 वर्ष की आयु में सेवा प्रारंभ करने वाला जीडीएस यदि 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है अर्थात् कुल 47 वर्ष की सेवा के उपरांत उसके अंशदान की कुल राशि होगी	240X47=11280/-रु.

11.3 विभिन्न सर्किल,सर्किल कल्याण निधि हेतु विभागीय तथा जीडीएस कर्मचारियों से विभिन्न दरों पर राशि की कटौती कर रहे हैं। एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु इस राशि को प्रति जीडीएस 20/-रु. प्रति माह निर्धारित किया गया है। अब से इस योजना के प्रारंभ होने के पश्चात् ग्रामीण डाक सेवक किसी अन्य सर्किल निधि में अंशदान नहीं करेंगे। स्वैच्छिक अंशदान के माध्यम से डाक सेवा कर्मचारी कल्याण निधि में वृद्धि विषय पर इस कार्यालय के पत्र सं. 1-11/97-कल्याण एवं खेलकूद दिनांक 26.09.97 और पत्र सं. 2–1/2001-कल्याण/खेलकूद दिनांक 26.04.2002 में इस परिप्रेक्ष्य में आंशिक अधिक्रमण होगा। सर्किल/ क्षेत्रीय ग्रामीण डाक सेवक निधि की मौजूदा शेष राशि को नई योजना में विलय कर दिया जाएगा।

12. <u>केन्द्रीय डाक कल्याण निधि में से सहायतार्थ अनुदान</u>

प्रत्येक सर्किल को केन्द्रीय कल्याण निधि में से 100/-रु. प्रति जीडीएस की राशि (वास्तविक रूप से कार्यरत जीडीएस की संख्या के आधार पर) आवर्ती आधार पर एकबारगी वार्षिक अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी सर्किल-विशेष में किसी वर्ष-विशेष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार 10,000 ग्रामीण डाक सेवक कार्यरत हैं तो उसके बाद के वित्तीय वर्ष के लिए उक्त सर्किल को निदेशालय की केन्द्रीय कल्याण निधि में से 10,00,000/-रु. (10,000X100=10,00,000/-रु.) का अनुदान दिया जाएगा।

13. <u>तीन घटक</u>

ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सर्किल कल्याण निधि के तीन मुख्य घटक होंगे जो निम्नानुसार हैं:-

(i) वित्तीय अनुदान - ब्यौरे पैरा 14 में दिए गए हैं।

(ii) प्रतिवर्ष 5% की दर से कम ब्याज दर के ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता - ब्यौरे पैरा 15 में दिए गए हैं।

(iii) सेवानिवृत्ति के समय एक मुश्त चुकौती- यह राशि उन ग्रामीण डाक सेवकों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने कोई वित्तीय सहायता नहीं ली है। ब्यौरे पैरा 16 में दिए गए हैं।

14. <u>**वित्तीय अनुदान**</u>-

14.1 इस स्कीम के तहत वित्तीय अनुदान निम्नलिखित शीर्षों/ मदों के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाएगा:-

क्रम संख्या	**ब्यौरे**	**जीडीएस को वित्तीय सहायता**
1.	मृत्यु होने पर तात्कालिक व्यय को पूरा करने के लिए मृतक ग्रामीण डाक सेवकों के परिवारों को वित्तीय सहायता, चाहे मृत्य ड्यूटी के दौरान हुई हो और चाहे ड्यूटी पर न होते हुए हुई हो।	10,000/- रू.
2.	ड्यूटी पर होते हुए आतंकवादी हमले/ डकैती के कारण मृत्यु	1,50,000/- रू.
3.	ड्यूटी पर न होते हुए दंगों, लूटेरों और आतंकवादियों द्वारा हमले के कारण ग्रामीण डाक सेवकों की मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता	12,000/- रू.
4.	दुर्घटना के कारण ड्यूटी पर होते हुए ग्रामीण डाक सेवकों की मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता	25,000/- रू.
5.	ग्रामीण डाक सेवक की मृत्यु पर मृतक-क्रिया	5,000/- रू.

	संबंधी व्यय (उन मामलों में देय जिनमें मृतक ग्रामीण डाक सेवक का अंतिम संस्कार भाइयों अथवा बहनों अथवा अन्य किसी निकट के कुटुम्बी के अभाव में किसी रिश्तेदार द्वारा किया जाता है।)		
6.	कैंसर, मस्तिष्क रक्तस्राव, गुर्दे की खराबी/ प्रतिरोपण, हृदय शल्य चिकित्सा जैसी बीमारियों में मुख्य शल्य चिकित्सा के मामले में वित्तीय सहायता	20,000/- रू.	
7.	ड्यूटी पर होते हुए ग्रामीण डाक सेवक के दुर्घटनाग्रस्त होने पर, तीन दिन से अधिक समय के लिए अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में वित्तीय सहायता	5,000/- रू.	
8.	क्षय रोग (टीबी) से ग्रस्त ग्रामीण डाक सेवक के लिए पोष्टिक आहार हेतु वित्तीय सहायता (छह माह की अधिकतम अवधि के लिए केवल एक बार, बशर्ते कि ग्रामीण डाक सेवक ने कम से कम छह माह की सेवा पूरी कर ली है, तथा इलाज किसी सरकारी अस्पताल में कराया गया है)।	अंतरंग उपचार-400/- रू. प्रतिमाह बहिरंग उपचार-200/- रू. प्रति माह	
9.	ग्रामीण डाक सेवक के बच्चों को शैक्षिक योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करना (मौजूदा निबंधन और शर्तों के अनुसार)।	आईआईटी, एआईआईएमएस, आईआईएम	1000/- रू. प्रति माह
		तकनीकी शिक्षा	
		(i) डिग्री	280/- रू. प्रति माह
		(ii) डिप्लोमा	190/- रू. प्रति माह
		गैर-तकनीकी डिग्री	
		बीए/बीएससी/बी.कॉम/ ललित कलाओं में डिग्री	150/- रू. प्रति माह

		आईटीआई प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	940/- रू. प्रति माह
10.	10 वीं और 12 वीं कक्षा में उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि के लिए प्रोत्साहन	सर्किल/क्षेत्र में प्रथम स्थान के लिए 1,000/- रू., सर्किल/क्षेत्र में द्वितीय स्थान के लिए 800/- रू., सर्किल/क्षेत्र में तृतीय स्थान के लिए 700/- रू., सर्किल/क्षेत्र में चतुर्थ स्थान के लिए 600/- रू., सर्किल/क्षेत्र में पांचवे स्थान के लिए 500/- रू.	
11.	ग्रामीण डाक सेवक के विकलांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति (अधिकतम 8 वर्ष के लिए तथा मौजूदा निबंधन और शर्तों के अुनसार)	200/- रू. प्रति माह	
12.	महिला ग्रामीण डक सेवक के लिए मातृत्व अनुदान	केवल दो बच्चों तक के लिए महंगाई भत्ता सहित तीन माह के टीआरसीए के समतुल्य राशि	
13.	आग, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के मामले में वित्तीय सहायता	5,000/- रू.	

14.2 उपर्युक्त वित्तीय अनुदान पहले से मौजूद निबंधन और शर्तों के अध्यधीन होंगे और इनके द्वारा तथा भविब्य में जारी किए जाने वाले निबंधन और शर्तों के द्वारा नियंत्रित होंगे।

14.3 कोई व्यक्ति किसी विशेष शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय अनुदान के लिए केवल एक बार पात्र होगा तथा उसी प्रयोजन से और उसी व्यक्ति के लिए एक से अधिक बार आवेदन नहीं कर सकता।

15. **<u>5% ब्याज दर पर ऋण की चुकौती</u>**

15.1 इस स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवक 50,000/- रू. की अधिकतम राशि तक प्रति वर्ष 5% की कम ब्याज दर पर ऋण के लिए पात्र होंगे जिसकी कटौती पच्चीस मासिक किस्तों में की जाएगी। ऋण निम्नलिखित के लिए प्रदान किया जाएगा:-

(i)	शाखा डाकघर के लिए फ्लश शौचालय की सुविधाओं के साथ एक कक्ष के निर्माण के लिए	50,000/- रू.

(ii)	ग्रामीण डाक सेवकों में कम्प्यूटर साक्षरता को प्रोत्साहित करने हेतु कम्प्यूटर/ लैपटाप की खरीद के लिए	20,000/- रू.
(iii)	मोपेड/स्कूटर/मोटर साइकिल की खरीद के लिए जिससे बीओ बैग की अदला-बदली, लेखा कार्यालय के दौरे जैसी ड्यूटी करने के लिए यात्रा को भी सुगम बनाएंगे	20,000/- रू.

15.2 ग्रामीण डाक सेवक अपने सम्पूर्ण कैरियर में 50,000/- रू. की अधिकतम सीमा के साथ अधिकतम दो अवसरों पर ऋण के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि पहले लिए गए ऋण की राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है तथा ग्रामीण डाक सेवक पर कोई ऋण बकाया नहीं है।

16. **<u>सेवानिवृत्ति के समय एक बारगी चुकौती</u>**

16.1 एक ग्रामीण डाक सेवक को, जिसने अपने पूर्ण सेवा काल में किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं ली है अथवा सर्किल कल्याण अंशदायी निधि से कोई अनुदान नहीं लिया है, सेवानिवृत्ति के समय एक मुश्त राशि दी जाएगी। भुगतान के लिए स्लैब निम्नानुसार होंगे:-

(i)	5 वर्ष के कम - कोई राशि देय नहीं
(ii)	अंशदान शुरू करने की तिथि से 5 वर्ष- 1000 रू.
(iii)	अंशदान शुरू करने की तिथि से 10 वर्ष- 2000 रू.
(iv)	अंशदान शुरू करने की तिथि से 15 वर्ष- 3000 रू.
(v)	अंशदान शुरू करने की तिथि से 20 वर्ष- 4500 रू.
(vi)	अंशदान शुरू करने की तिथि से 25 वर्ष- 5500 रू.
(vii)	अंशदान शुरू करने की तिथि से 30 वर्ष- 6500 रू.
(viii)	अंशदान शुरू करने की तिथि से 35 वर्ष- 8000 रू.
(ix)	अंशदान शुरू करने की तिथि से 40 वर्ष- 9000 रू.
(x)	अंशदान शुरू करने की तिथि से 45 वर्ष से अधिक- 11000 रू.

17. **<u>निधि से मंजूरी</u>**

मंजूरी आदेश मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/पोस्टमास्टर जनरल द्वारा जारी किए जाएंगे। तथापि, क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरल वर्ष के अंत में सर्किल कल्याण स्कीम के तहत मंजूर की गई राशि सहित कर्मचारियों की एक सूची सूचनार्थ मुख्य पोस्टमास्टर जनरल को

प्रस्तुत करेंगे। अंतिम संस्कार संबंधी व्यय के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्योत्तर मंजूरी प्रदान किए जाने तक स्थानीय नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा भुगतान के आदेश दिए जा सकते हैं।

18. **ग्रामीण डाक सेवक कल्याण निधि की लेखापरीक्षा**

18.1 क्षेत्रीय पीएमजी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्तियों और व्यय का लेखा अधिकतम 15 अप्रैल तक मुख्य पोस्टमामस्टर जनरल को प्रस्तुत करेंगे। यह कार्रवाई सीपीएमजी द्वारा अपने प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन डिवीजनों/यूनिटों के मामले में भी की जाएगी। तत्पश्चात मुख्य पोस्टमास्टर जनरल जीडीएस के लिए सर्किल कल्याण निधि के संबंध में पूरे सर्किल के विधिवत लेखा परीक्षित समेकित लेखा निदेशालय में निदेशक (कल्याण एवं खेल) को भेजेंगे।

18.2 इस आशय के प्रमाणपत्र कि वर्ष के लिए जीडीएस कल्याण निधि को लेखापरिक्षित किया गया है तथा सही पया गया है, को लेखा की लेखापरीक्षा के एक माह के भीतर डाक निदेशालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

18.3 निधि के लेखा को डाक एवं तार लेखापरीक्षा/ मुख्य प्रबंधक (एफ)/ डीएपी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा,जैसा भी मामला हो, सर्किल में प्रत्येक वर्ष की 30 जून को अथवा उससे पहले वार्षिक रूप से लेखापरीक्षित किया जाएगा।

18.4 लेखा परीक्षण से पहले निधियों के लेखा की संबंधित सर्किलों के आंतरिक जांच संगठन द्वारा भी वार्षिक रूप से जांच की जाएगी।

19 **विविध**

19.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा समुचित जांच और अनुमोदन के पश्चात ग्रामीण डाक सेवक को राशि का वितरण मंजूरी आदेश को जारी करके किया जाएगा।

19.2 ग्रामीण डाक सेवक के टीआरसीए से अंशदान की गई राशि एक अलग बचत खाते में जमा की जाएगी।

19.3 इस नई स्कीम की शुरूआत के साथ सभी ग्रामीण डाक सेवक मौजूदा कल्याण निधि का हिस्सा नहीं रहेंगे, जो अब से केवल विभागीय कर्मचारियों के लिए होगी। जीडीएस श्रेणी के लिए वार्षिक अनुदान निदेशालय की केन्द्रीय कल्याण निधि से ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सर्किल कल्याण निधि को संवितरित किया जाएगा। तथापि स्कीम के निबंधन, शर्तों और किसी

अन्य पहलू के संबंध में अस्पष्टता के किसी मामले में, विशेषकर, इस आदेश के पैरा-14.1 के अंतर्गत सूचीबद्ध वित्तीय अनुदानों के संबंध में कार्रवाई/निर्णय मद/विषय पर निदेशालय द्वारा जारी विभिन्न आदेशों तथा भविष्य में जारी किए जाने वाले विभिन्न आदेशों द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होंगे ।

19.4 स्कीम के दैनंदिन संचालन के बारे में प्रावधानों, अनुदानों/ऋण के लिए निबंधन और शर्तों तथा विभिन्न आवेदनों के प्रोफॉर्मा/फॉर्म के संबंध में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

(एल. एन. शर्मा)

उप महानिदेशक

(प्रशिक्षण एवं कल्याण)

सवो में

सभी सर्किल के अध्यक्ष

सभी क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरल

रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादेमी एवं सभी डाक प्रशिक्षण केन्द्र

सभी सेवा संघ

ग्रामीण डाक सेवक सर्किल कल्याण निधि की स्कीम हेतु उप विधि

1. नाम

यह स्कीम "ग्रामीण डाक सेवक सर्किल कल्याण निधि" के रूप में जानी जाएगी। निम्नलिखित खंडों में इसे 'स्कीम' अथवा 'निधि' अथवा "जीडीएससीडब्लूएफ' के रूप में भी संदर्भित किया गया है।

2. उद्देश्य

इस स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण डाक सेवकों को उनकी आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराना है। यह स्कीम परिस्थिति के अनुसार सहायता के और अधिक रूपों को कवर करने के लिए संभावनाओं तथा राशि में संशोधन के लिए महानिदेशक डाक द्वारा समीक्षा के अध्यधीन है।

3. सदस्यता:

3.1 सभी नियमित रूप में नियोजित कार्यरत जीडीएस के लिए इस स्कीम की सदस्यता अनिवार्य होगी।

3.2 यह इस शर्तों के अधीन है कि यह स्कीम अस्थाई रूप से नियुक्त जीडीएस/जीडीएस के स्थान पर उसके प्रतिस्थापन्न के रूप में कार्यरत व्यक्तियों को कवर नहीं करेगी।

3.3 यदि कोई जीडीएस जो स्कीम का सदस्य है और वह पुट-ऑफ इयूटी के तहत है तो वह उक्त अवधि हेतु नियमित रूप से अंशदान का भुगतान करके अपनी सदस्यता को जारी रख सकता है।

3.4 स्कीम की सदस्यता अंशदान की अदायगी तक मान्य होगी और यह तब बंद न होगी जब जीडीएस सदस्य सेवा की अधिकतम आयु अर्थात 65 वर्ष पूरी न कर लेता है। प्रशासनिक कारणों से अंशदान की गैर अदायगी के मामलों में, उक्त राशि को बिना किसी ब्याज के परवर्ती महीने में वसूला जाएगा। यदि जीडीएस से किन्हीं कारण से अंशदान की वसूली नहीं हो पाती है तो उसे अंशदान के प्रति किस्त पर 1 रूपए प्रति माह की शास्ती ब्याज के साथ परवर्ती महीने में वसूल किया जाएगा यदि अंशदान बिना किसी वैध कारण के लगातार छः (6) महीनों से वसूल नहीं किया गया है तो सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी तथा इस स्कीम के तहत कोई लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।

3.5 इस स्कीम के तहत ग्रामीण डाक सेवक को प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी, यदि वह-

(क) 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर कार्यमुक्त हुआ है अथवा चिकित्सा आधार पर अक्षमता के कारण उसे कार्यमुक्त की निर्धारित आयु के पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा से कार्यमुक्त किया गया है।

अथवा

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा से हटाया गया है अथवा विमुक्त किया गया है अथवा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

अथवा

(ग) सेवा से इस्तीफा दे देता है।

अथवा

(घ) किन्हीं कारणों से, जो भी हो, उसे दोषी ठहराया जाता है।

3.6 वे जीडीएस जिनको पदों की कटौती के कारण उनके पद से विमुक्त कर दिया गया है, उन्हें उनकी विमुक्ति की तारीख के बाद अधिकतम एक वर्ष तक स्कीम से राहत का लाभ प्राप्त करने का हकदार माना जाएगा बशर्ते कि वे उक्त अवधि के लिए नियमित रूप से सदस्य के रूप में भुगतान कर रहे हों।

4. <u>परिभाषा:</u>

एक स्कीम के तहत जबतक प्रसंग के अनुसार अन्यथा रूप में अपेक्षित न हो-

(क) "अंशदान" का अर्थ नामांकन हेतु समय-समय पर तय की गई निर्धारित राशि होगी जो सदस्य के रूप में बने रहने अथवा ग्रामीण डाक सेवक द्वारा स्कीम के तहत सदस्य के रूप में देय होगा।

(ख) "समिति" का तात्पर्य उप विधि के खंड 10 के तहत गठित प्रबंधन समिति से है।

(ग) "सदस्य" का आशय उप विधि के खंड 8 के तहत प्रावधान किए गए अनुसार अंशदान का भुगतान करने वाले संबंधित डाक सर्किलों के सभी पात्र ग्रामीण डाक सेवकों से है।

(घ) निधि से आशय, शेष राशि निवेशों पर ब्याज के साथ-साथ तथा कोई अनुदान जिसे स्कीम के उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ हो, सदस्यों द्वारा चुकाए गए अंशदान की कुल राशि से है। इसमें डोनेशन, सहायतार्थ प्रदर्शनियों के लिए टिकटों की बिक्री तथा स्मारक इत्यादि को जारी करने से प्राप्त विज्ञापन प्रभारों की एकत्रित राशि भी शामिल होगी।

(ङ) सीपीएमजी के नियंत्रण के तहत सीधे उस क्षेत्र में कार्यरत जीडीएस के मामले में जीडीएस से संबंधित सभी मामले जिसे उस क्षेत्र के पीएमजी द्वारा उसे भेजा जाएगा। सीपीएमजी अंतिम निर्णायक प्राधिकारी होगा।

(च) जहां कहीं भी जीडीएस बीपीएम का पद उल्लिखित किया गया है, उसमें जीडीएसएसपीएम को भी शामिल किया जाएगा।

(छ) दुर्घटना से तात्पर्य उस घटना से है जिसके कारण शरीर में क्षति अथवा चोट हो सकती है जिसके कारण मृत्यु भी हो सकती है।

5. <u>स्कीम की शुरूआात</u>

स्कीम 1.10.2013 से प्रभावी होगी तथा यह सभी ग्रामीण डाक सेवक के लिए आवश्यक होगी।

6. वापसी

किसी भी कारण से निधि में किए गए अंशदान की राशि की वापसी नहीं की जाएगी। तथापि गलत वसूली अथवा गलती के कारण निधि में जमा हुई राशि की वापसी की जा सकती है।

7. पात्रता

इस स्कीम के तहत आज की तारीख के अनुसार सभी जीडीएस उप विधि के खंड 3 के अनुसार सदस्य होंगे तथा उप विधि के खंड 8.3 के अनुसार वार्षिक अंशदान उनके वेतन से वार्षिक रूप में वसूल किया जाएगा। वर्ष में किसी भी समय नियुक्त जीडीएस के लिए यथानुपात अंशदान, कार्यभार ग्रहण करने के महीने से वित्तीय वर्ष (मार्च तक) की समाप्ति तक के लिए उनके टीआरसीए से काट लिया जाएगा।

8. निधि का वित्त

8.1 निधि के वित्त में सदस्यों से अंशदान, केन्द्रीय कल्याण निधि से सहायता अनुदान तथा खंड 8.5 के तहत समिति द्वारा एकत्रित राशि शामिल है।

8.2 स्कीम के लिए अंशदान, जीडीएस की श्रेणी का विचार किए बिना, खंड 8.3 में यथा निर्धारित सभी सदस्यों के लिए समान होगा।

8.3 अंशदान की दरें निम्नानुसार होंगी:-
ग्रामीण डाक सेवक के संबंध में 240/- रूपए प्रति वर्ष।

8.4 वार्षिक अंशदान, लेखा संबंधी कार्यों का बोझ कम करने के लिए मार्च के टीआरसीए से प्रतिवर्ष अप्रैल महीने में एक मुश्त राशि के रूप में वसूल किया जाएगा।

8.5 प्रबंधन समिति, इस उद्देश्य के लिए सर्किल प्रमुख द्वारा अनुमोदित किसी अन्य साधन से अथवा भुगतान किए गए विज्ञापनों से स्मारक को जारी करके सहायतार्थ प्रदर्शनियों के टिकटों की बिक्री तथा डोनेशन के द्वारा इस कल्याण स्कीम के लिए अतिरिक्त वित्त का सृजन कर सकती है।

9. नामांकन

9.1 नियुक्ति के समय जीडीएस द्वारा किया गया नामांकन, इस स्कीम के उद्देश्य के लिए विधि मान्य नामांकन होगा बशर्ते कि नामिति की पहले मृत्यु होने पर संशोधित विकल्प न दिया हो।

9.2 यदि आपके पास परिवार है तो नामांकन केवल उसके परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में होगा। परिवार होने के बावजूद नामांकन यदि परिवार के सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में किया गया है तो वह मान्य नहीं होगा।

9.3 यदि सदस्य के पास कोई परिवार नहीं है तो वह स्कीम से राहत प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नामित कर सकता है। तथापि, यदि वह बाद में परिवार बसा लेता है तो पहले किए गए नामांकन की वैधता स्वयं समाप्त हो जाती है। ऐसे मामले में सदस्य/कर्मचारी को नया नामांकन कराना होगा।

9.4 इस स्कीम के उद्देश्य के लिए परिवार को डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली, 2011 में यथा परिभाषित किया गया है।

9.5 सदस्य की मृत्यु होने पर यदि कोई नामांकन नहीं हुआ है तथा यदि परिवार के सदस्य दावाकर्ता के पक्ष में सर्वसम्मति से अपनी सहमति नहीं देते हैं तो प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, परिवार के सदस्यों के पक्ष में राशि को समान अंश में मंजूरी दे सकते हैं।

9.6 यदि नामिति अवयस्क है तो राहत की राशि उत्तरजीवी माता-पिता को दी जाएगी बशर्ते कि अवयस्क उनकी अभिरक्षा और देखभाल में रह रहा हो। यदि अवयस्क नामिति के उत्तरजीवी माता-पिता नहीं है, अथवा यदि अवयस्क उत्तरजीवी-माता-पिता की अभिरक्षा में नहीं रह रहा है तो राहत की राशि, अल्वयस्क नामिति का वास्तम में देखभाल करने वाले अभिभावक को अविभाविता प्रमाणपत्र देने पर, दी जा सकती है।

10. <u>प्रबंधन समिति</u>

10.1 प्रबंधन समिति द्वारा सर्किल स्तर पर जीडीएस हेतु सर्किल कल्याण निधि (सीडब्लूएफजीडीएस) का प्रबंध किया जाएगा। इस समिति में निम्नलिखित पदधारक तथा सदस्य शामिल होंगे-

(i)	अध्यक्ष	मुख्य पोस्टमास्टर जनरल
(ii)	उपाध्यक्ष	निदेशक, डाक सेवाएं (मुख्यालय)
(iii)	सचिव	सर्किल कार्यालयों में कल्याण एवं खेलकूद के प्रभारी सहायक निदेशक
(iv)	कोषाध्यक्ष	सर्किल कार्यालय में लेखा अधिकारी
(v)	सदस्य-I	सर्किल के जीडीएस स्टाफ यूनियन का सदस्य
(vi)	सदस्य-II	सर्किल से जीडीएस स्टाफ यूनियन का सदस्य

10.2 प्रबंधन समिति के सभी पद धारक पदेन सदस्य होंगे, इसलिए प्रबंधन समिति के कार्यकाल की कोई निधारित अवधि नहीं होगी।

10.3 प्रबंधन समिति द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर निधि का प्रबंध किया जाएगा। इस समिति में निम्नलिखित पदधारक एवं सदस्य शामिल होंगे-

(i)	अध्यक्ष	पोस्टमास्टर जनरल (क्षेत्रीय)
(ii)	उपाध्यक्ष	निदेशक, डाक सेवाएं (क्षेत्रीय)
(iii)	सचिव	क्षेत्रीय कार्यालयों में कल्याण एवं खेलकूद के प्रभारी सहायक निदेशक
(iv)	कोषाध्यक्ष	क्षेत्रीय कार्यालयों में लेखा अधिकारी
(v)	सदस्य-I	क्षेत्रों से नामित जीडीएस/जीडीएस स्टाफ यूनियन का सदस्य
(vi)	सदस्य-II	क्षेत्रों से नामित जीडीएस/जीडीएस स्टाफ यूनियन का सदस्य

10.4 क्षेत्रीय स्तर की समिति के सभी पदधारक पदेन सदस्य होंगे, इसलिए प्रबंधन समिति के कार्यकाल की कोई निर्धारित अवधि नहीं होगी।

11. <u>प्रबंधन समिति का कर्तव्य</u>

11.1 <u>अध्यक्ष:-</u>

अध्यक्ष प्रबंधन समिति का प्रमुख होगा तथा वह बैठकों की अध्यक्षता करेगा। वह विवादित मुद्दों तथा स्कीम से संबंधित मामलों का भी निर्णय करेगा। वह प्रावधानों के अनुरूप निधि से विभिन्न मामलों में राहत/

अनुदान की मंजूरी प्रदान करेगा बशर्ते कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि किया गया दावा सही तथा व्यवस्था के अनुरूप हैं।

11.2 <u>उपाध्यक्ष</u> :-

वह इस स्कीम से संबंधित सभी कार्यों में अध्यक्ष की मदद करेगा।

11.3 <u>सचिव</u> :-

(i) वह स्कीम के निर्विघ्न तथा उपयुक्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। वह प्रबंध समिति की समय से बैठक की व्यवस्था करेगा तथा इसके विचारार्थ सभी आवश्यक मामलों को संज्ञान में लाएगा। वह प्रबंधन समिति की तरफ से सभी पत्र व्यवहार करेगा तथा निधि से राहत के अनुदान के लिए अभ्यावेदनों तथा दावों को प्राप्त कर उस पर कार्रवाई भी करेगा। वह प्रबंधन समिति की बैठक के कार्यवृत्त को रिकार्ड करेगा अथवा इसकी व्यवस्था करेगा।

(ii) निधि का बैंक खाता कोषाध्यक्ष के साथ सचिव द्वारा परिचालित किया जाएगा।

(iii) निधि से राहत हेतु दावे के लिए अध्यक्ष द्वारा दिए गए अनुमोदन के उपरांत सचिव राहत के भुगतान हेतु मंजूरी प्रदान करेगा। सचिव तथा कोषाध्यक्ष अनुदान के भुगतान हेतु तथा स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में अन्य व्यय के लिए चेक पर हस्ताक्षर करने के लिए संयुक्त रूप से प्राधिकृत है।

11.4 <u>कोषाध्यक्ष</u> :-

कोषाध्यक्ष, निधि के वित्त से संबंधित मामलों की उचित देखभाल के लिए सिमति के प्रति जवाबदेह है। वह प्राप्त धनराशि तथा निधि से किए गए भुगतान का लेखा रखेगा। वह निधि से संबंधित प्राप्तियों और भुगतान का रिकार्ड रखेगा। वह लेखा और बाउचरों को भी दर्ज करेगा तथा वह समिति द्वारा जब कभी आवश्यक हो तो निधि से संबंधित प्रासंगिक सूचना प्रदान करेगा। निधि से संबंधित उसके द्वारा प्राप्त सभी धन को वह तत्काल बैंक में जमा कराएगा। मंजूरी प्राप्त होने पर वह तत्काल राहत राशि के भुगतान की व्यवस्था करेगा। वह सचिव के साथ संयुक्त रूप से खाते का प्रचालन करेगा। वह निधि के वित्त से संबंधित सभी मामलों, जिनपर उनके संज्ञान की आवश्यकता होगी और विशेष रूप से अनियमितताओं के संदर्भ में उसकी जानकारी में आती है, को सचिव तथा समिति के संज्ञान में लाएगा।

12. <u>मानदेय:-</u>

12.1 कोषाध्यक्ष तथा लेखा परीक्षक के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति जिसने निधि संबंधी कार्यों में भाग लिया है, को दिए जाने वाले मानदेय की दर प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

12.2 प्रबंधन निधि में निहित कार्य पर विचार करते हुए कोषाध्यक्ष तथा लेखा परीक्षक को निम्नानुसार मानदेय दिया जाएगा:-

कोषाध्यक्ष	:	5,000/- रूपए प्रतिवर्ष
लेखा परीक्षक	:	1,000/- रूपए प्रतिवर्ष

13. <u>खातों की लेखा परीक्षा</u>

आईएफए, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय अथवा प्रबंधन समिति द्वारा नियुक्त कोई एजेंसी/अधिकारी द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दो महीने के अंदर लेखा परीक्षा कार्य किया जाएगा। इस प्रकार नियुक्त लेखा परीक्षक, खातों की सत्यता को प्रमाणित करेगा तथा उस पर टिप्पणी भी देगा, यदि कोई हो। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को परीक्षा के पूर्ण होने के बाद अर्थात वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के अंदर शीघ्र ही समिति के समक्ष रखा जाएगा।

14. <u>निधियों का निवेश</u>

ऐसी अतिरेक निधि जिसका तत्काल उपयोग आवश्यक न हो, को प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार निधि का सर्वोत्तम उपयोग करने के उद्देश्य से केवल सरकारी संस्थानों अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश किया जा सकता हे।

15. <u>स्कीम में संशोधन</u>

स्कीम के किसी भाग में संशोधन से संबंधित सभी शक्तियां सदस्यों के व्यापक हित में डाक महानिदेशक को सौंपी गई है।

*****